उत्तराखण्ड शासन,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः 1837 /VII-2-19/34–एम0एस0एम0ई/2016
देहरादून, दिनांकः 17 सितम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–999/VII-2/34–एम0एस0एम0ई/2016 दिनांक 26 मई, 2016 के द्वारा प्रख्यापित 'राजकीय औद्योगिक आस्थानों में शेड/भूखण्डों के आवंटन/निरस्तीकरण/स्थानान्तरण/किराया आदि के संबंध में एकीकृत (Integrated) प्रकिया के प्रस्तर–5 में निम्नानुसार स्तम्भ–1 में उल्लिखित विद्यमान प्राविधान के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित निम्नलिखित प्राविधान प्रतिस्थापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

	स्तम्भ–1		स्तम्भ–2
	विद्यमान प्राविधान		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
5.	आवंटन हेतु आरक्षणः अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों/शेडों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत तथा दिव्यांग (Physical Handicapped) के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भूखण्ड/शेडों की कुल संख्या का 3 प्रतिशत आरक्षण रखा जायेगा। यदि दो बार विज्ञप्ति प्रकाशित करने के बाद भी इन श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो निदेशक उद्योग की पूर्व स्वीकृति से सामान्य वर्ग के लोगों को शेड्स/भूखण्ड का आवंटन किया जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने के विषय में सभी सम्भव प्रयाय किये जाने चाहिए।	5.	आवंटन हेतु आरक्षणः अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों/शेडों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत तथा दिव्यांग **(Physical Handicapped)** के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भूखण्ड/शेडों की कुल संख्या का 5 प्रतिशत आरक्षण रखा जायेगा। यदि दो बार विज्ञप्ति प्रकाशित करने के बाद भी इन श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो निदेशक उद्योग की पूर्व स्वीकृति से सामान्य वर्ग के लोगों को शेड्स/भूखण्ड का आवंटन किया जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने के विषय में सभी सम्भव प्रयाय किये जाने चाहिए।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1837 / VII-3-19 / 34–एम0एस0एम0ई / 2016, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव–मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6 अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9 आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
10 महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
11 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
13 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
14 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
15 सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
16 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
17 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
18 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट
उप सचिव।